न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 19/2025 (Bank Case)
GCMS NO 2025/177

पंजाब नैशल बैंक शाखा रामगंजमंडी

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स शमीम स्टोन प्रोपराईटर साजिदा
पता– खसरा नं0 671, ओरवरब्रिज के पास, नेशनल हाइवे 52, ग्राम खींमच
तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा–326519
2. श्रीमती साजिदा पुत्री श्री मोहम्मद अजीम,
पता– वार्ड नं.5, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम खीमच
तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा

–(ऋणी /बंधककर्ता)
–अपार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 10.12.2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पंजाब नैशल बैंक शाखा रामगंजमंडी से अप्रार्थी ने दिनांक 23.12.2022 को राशि 6,65,000/– रूपये (अक्षरे छः लाख, पैसठ हजार रूपये मात्र) (क्रेस क्रेडिट) एवं दिनांक 23.12.2022 को राशि 17,10,000/– रूपये (अक्षरे सत्रह लाख, दस हजार रूपये मात्र,) कुल रूपये 23,75,000/– (अक्षरेः तैबीस जाख, पिचहत्तर हजार रूपये ।) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **बंधक अचल सम्पत्ति– औद्योगिक भूमि एवं भवन खसरा नं0 671, खाता नं0 14 ग्राम खीमंच, तहसील रामगंजमण्डी में स्थित है जिसका क्षैत्रफल 0.10 हे0 है जो कि श्रीमती साजिदा पुत्री श्री मोहम्मद अजीम के नाम से है । चतुर्थ सीमाएं पूर्व में– खसरा नं0 791/671 की भूमि, पश्चिम में – खसरा नं0 673 की भूमि उत्तरमें–खसरा नं0 672 की भूमि, दक्षिण में– खसरा नं0 683 की भूमि** है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 03.03. 2025 को एन.पी.एः कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में बकाया **राशि– 10,95,408.39 रूपये (अक्षरे दस लाख पिंचानवें हजार, चार सौ आठ रूपये एवं उन्तालिस पैसे मात्र)** दिनांक 13.03.2025 तक शेष देय है व आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 13.03. 2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राषि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु

रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उनके खाते मे देय ऋण राषि मय ब्याज की राषि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 13.03.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राषि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 13.03.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **बंधक अचल सम्पत्ति– औद्योगिक भूमि एवं भवन खसरा नं0 671, खाता नं0 14 ग्राम खीमच, तहसील रामगंजमण्डी में स्थित है जिसका क्षैत्रफल 0.10 हे0 है जो कि श्रीमती साजिदा पुत्री श्री मोहम्मद अजीम के नाम से है । चतुर्थ सीमाएं पूर्व में– खसरा नं0 791/671 की भूमि, पश्चिम में – खसरा नं0 673 की भूमि उत्तरमें–खसरा नं0 672 की भूमि, दक्षिण में– खसरा नं0 683 की भूमि** है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की कियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें ।

आदेश आज दिनांक 10.12.2025 को सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)